मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

//अधिसूचना/

भोपाल, दिनांक 02/07/2021

फा0क0 2148,1826/21–ब(दो),/2021, राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक सत्र खण्ड में भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अधिनियम के अंतर्गत जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों में अभियोजन का संचालन करने के लिये, **विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती आदेशों को अतिष्ठित करते हुए,** मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, के साथ ही ऐसे समस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों, जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हैं, एतदद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं।

किसी जिले के लिए, ऐसे नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों का आवंटन अथवा कार्य वितरण संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा।

यह आदेश दिनांक 02.07.2021 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ0क्रमांक 2148,1826/21–ब(दो), भोपाल, दिनांक 02/07/2021 06

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
3. समस्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मध्यप्रदेश,
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश,
5. संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल, मध्यप्रदेश,
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, भोपाल म.प्र. की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. निजी सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
8. आई.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(प्रशांत कुमार) 5/7/2021
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,